"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 12] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 20 मार्च 2015—फाल्गुन 29, शक 1936

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 25 फरवरी 2015

क्रमांक ई-1-1/2012/एक/2.—भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की अधिसूचना क्रमांक 14015/05/2013-एआईएस (1)-बी, दिनांक 10-02-2015 द्वारा राज्य प्रशासनिक सेवा से भारतीय प्रशासनिक सेवा में पदोन्नति द्वारा नियुक्ति किये जाने के फलस्वरूप निम्नलिखित अधिकारियों को राज्य शासन एतद्द्वारा उन्हें, उनके नाम के समक्ष उल्लिखित पद पर अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है :—

स. क्र.	अधिकारी का नाम	भा.प्र.से. में नियुक्ति दिनांक	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री टोपेश्वर वर्मा	10-02-2015	अपर कलेक्टर, राजनांदगांव

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2015.

(1)	(2)	(3)	(4)
2.	श्री नीलम नामदेव एक्का	10-02-2015	अपर कलेक्टर, सरगुजा
3.	सुश्री जिनेविवा किंडो	10-02-2015	उपायुक्त, बिलासपुर संभाग, बिलासपुर
4.	श्री जनक प्रसाद पाठक	10-02-2015	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, दुर्ग

2. सरल क्र. 3 पर दर्शित अधिकारी सुश्री जिनेविवा किंडो द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 2007 के नियम-9 के तहत उपायुक्त बिलासपुर संभाग के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में, भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

नया रायपुर, दिनांक 5 मार्च 2015

क्रमांक ई-1-03-2015/1/2.—राज्य शासन एतद्द्वारा 1. श्री अवनीश कुमार शरण (भाप्रसे-2009), आयुक्त, नगर निगम, रायपुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त अपर कलेक्टर, रायपुर के पद पर पदस्थ करता है.

2. श्री सारांश मित्तर (भाप्रसे-2010), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, दंतेवाड़ा को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त आयुक्त, नगर निगम, रायपुर के पद पर पदस्थ करता है.

नया रायपुर, दिनांक 7 मार्च 2015

क्रमांक ई-1-03-2015/1/2.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री टोपेश्वर वर्मा, भा.प्र.से., अपर कलेक्टर, राजनांदगांव को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त आयुक्त, नगर पालिक निगम, राजनांदगांव के पद पर पदस्थ करता है.

श्री टोपेश्वर वर्मा, भा.प्र.से., द्वारा आयुक्त, नगर पालिक निगम, राजनांदगांव का पदभार ग्रहण करने के दिनांक से आयुक्त, नगर पालिक निगम, राजनांदगांव के असंवर्गीय पद को राज्य शासन भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 2007 के नियम-9 के तहत प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में, भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक ढाँड, मुख्य सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 3 मार्च 2015

क्रमांक एफ 1-02/2015/एक-15.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्रीमती विजया विनोद कुर्रे, भा.व.से. (2011), उप वनमंडलाधिकारी, उप वनमंडल बालोद, वनमंडल बालोद को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त वन मंडलाधिकारी, मुंगेली वनमंडल, मुंगेली के पद पर पदस्थ किया जाता है.

2. सुश्री स्टायलो मंडावी, भा.व.से. (2011) उप वनमंडलाधिकारी, उप वनमंडल कोटा, वनमंडल बिलासपुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त वन मंडलाधिकारी, बालोद वनमंडल, बालोद के पद पर पदस्थ किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निधि छिब्बर, सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 23 फरवरी 2015

क्रमांक/356/53/2015/एक-14/भापुसे.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, इस विभाग के आदेश क्रमांक/38/53/2015/एक-14/भापुसे, दिनांक 12-01-2015, जिसके द्वारा श्री राहुल भगत, भापुसे (2005), पुलिस अधीक्षक, रायगढ़ को दिनांक 12-01-2015 से 10-02-2015 तक (कुल 30 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया है, के तारतम्य में श्री भगत को दिनांक 11-02-2015 से 05-03-2015 तक (कुल 23 दिवस) अर्जित अवकाश में वृद्धि की स्वीकृति प्रदान करता है.

2. शेष शर्तें उपर्युक्त आदेश में उल्लेखित शर्तों के अनुसार रहेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एल. आदिले, उप-सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 4 मार्च 2015

क्रमांक एफ 7-06/2015/एक/15.— राज्य शासन एतद्द्वारा श्री सी. एल. अग्रवाल, उपसंचालक, अचानकमार टायगर रिजर्व, बिलासपुर को दिनांक 02-02-2015 से 13-02-2015 तक कुल 12 दिवस का अर्जित अवकाश तथा दिनांक 15, 16-02-2015 के राजपत्रित अवकाश के उपभोग की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री अग्रवाल, उपसंचालक, अचानकमार टायगर रिजर्व, बिलासपुर के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री अग्रवाल को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अग्रवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एल. डी. चोपड़े, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 19 फरवरी 2015

क्रमांक 1653/3525/21-ब/छ.ग./2014.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्रीमती वरूणा मिश्रा, अधिवक्ता, को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जगदलपुर के न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी करने के लिए परिवीक्षा पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की कालावधि या 62 वर्ष जो भी पहले हो, के लिए अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक नियुक्त करता है तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उसी अवधि के लिए उन्हें अतिरिक्त लोक अभियोजक भी नियुक्त करता है. उन्हें शासन द्वारा निर्धारित एवं समय-समय पर संशोधित रिटेनर फीस एवं अन्य फीस देय होगी. उनकी सेवा की अन्य शर्तें छ.ग. विधि विभाग मैन्युअल में निर्धारित अनुसार होगी. किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

उक्त संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014-न्याय प्रशासन, 114-कानूनी सलाहकार और परिषद्, 3572-मुफस्सिल स्थापना, 10-व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां, 008-शासकीय अभिभाषकों को फीस मद के अन्तर्गत प्रभारित किया जावेगा.

नया रायपुर, दिनांक 19 फरवरी 2015

क्रमांक 1657/3581/21-ब/छ.ग./2014.—राज्य शासन, एतद्द्वारा अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/अतिरिक्त लोक अभियोजक के पद पर नियुक्त श्री सूरज कुमार मिश्रा, अधिवक्ता, जिला-बेमेतरा (छ.ग.) को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बेमेतरा के न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी करने के लिए दिनांक 03-10-2014 से पुन: तीन वर्ष की कालावधि या 62 वर्ष जो भी पहले हो, के लिए अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक नियुक्त करता है तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उसी अवधि के लिए उन्हें अतिरिक्त लोक अभियोजक भी नियुक्त करता है. उन्हें शासन द्वारा निर्धारित एवं समय-समय पर संशोधित रिटेनर फीस एवं अन्य फीस देय होगी. उनकी सेवा की अन्य शर्तें छ.ग. विधि विभाग मैन्युअल में निर्धारित अनुसार होगी. किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है. उक्त संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014-न्याय प्रशासन, 114-कानूनी सलाहकार और परिषद्, 3572-मुफस्सिल स्थापना, 10-व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां, 008-शासकीय अभिभाषकों को फीस मद के अन्तर्गत प्रभारित किया जावेगा.

नया रायपुर, दिनांक 19 फरवरी 2015

क्रमांक 1665/3537/21-ब/छ.ग./2014.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री गजानंद मीनपाल, अधिवक्ता, को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, (फास्ट ट्रेक) जिला धमतरी (छ.ग.) के न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी करने के लिए परिवीक्षा पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की कालावधि या 62 वर्ष जो भी पहले हो, के लिए अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक नियुक्त करता है तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उसी अवधि के लिए उन्हें अतिरिक्त लोक अभियोजक भी नियुक्त करता है. उन्हें शासन द्वारा निर्धारित एवं समय-समय पर संशोधित रिटेनर फीस एवं अन्य फीस देय होगी. उनकी सेवा की अन्य शर्तें छ.ग. विधि विभाग मैन्युअल में निर्धारित अनुसार होगी. किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

उक्त संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014-न्याय प्रशासन, 114-कानूनी सलाहकार और परिषद्, 3572-मुफस्सिल स्थापना, 10-व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां, 008-शासकीय अभिभाषकों को फीस मद के अन्तर्गत प्रभारित किया जावेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुषमा सावंत, अतिरिक्त सचिव.

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 27 फरवरी 2015

क्रमांक एफ 2-113/सात-1/2008.—कृषि भूमि पर प्रीमियम की वसूली के प्रयोजन के लिए, प्रीमियम का निर्धारण एवं अधिरोपण के परिवर्तन संबंधी विभागीय अधिसूचना क्रमांक 175-6477-सात-एन (नियम), दिनांक 06 जनवरी, 1960, यथा संशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ 11-7-सात-एस-8-89, भोपाल, दिनांक 24 जनवरी, 2000 तथा अधिसूचना क्रमांक एफ 2-113/सात-1/2008, रायपुर, दिनांक 24 अक्टूबर, 2013 में और संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 258 की उप-धारा (2) के खण्ड (तीन) सहपठित धारा 59 की उप-धारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए बनाना प्रस्तावित करती है, उक्त अधिनियम की धारा 258 की उप-धारा (तीन) के अधीन अपेक्षित किये गये अनुसार, उन समस्त व्यक्तियों, जिनके कि इससे प्रभावित होने की संभवना है, की जानकारी के लिए एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है तथा एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप पर इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से साठ दिवस के अवसान के पश्चात् विचार किया जायेगा.

कोई आपत्ति या सुझाव, जो उक्त प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से विनिर्दिष्ट कालावधि के पूर्व सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन

विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, कक्ष क्र. एस. 2-23, महानदी भवन, मंत्रालय कैपिटल कॉम्पलेक्स, नया रायपुर, जिला रायपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में प्राप्त हो, पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विचार किया जाएगा.

संशोधन प्रारूप

उक्त अधिसूचना में,—

1. नियम 14 के उप-नियम (1) में, शब्द, अंक एवं चिन्ह "तथा इन नियमों से संलग्न अनुसूची-ब के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों के लिये, यथास्थिति, उक्त अनुसूची के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट दरों के अनुसार प्रीमियम अधिरोपित किया जायेगा" को विलोपित किया जाये.

2. अनुसूची-ब को विलोपित किया जाये.

No. F-2-113/Seven-1/2008.—The following further draft amendment in the Department's the Notification No. 175-6477-VII-N (Rules), dated 6th January, 1960 as amended by Notification No. F 11-7-VII-S-8-89, Bhopal, dated 24th January, 2000 and Notification No. F-2-113/Seven-1/2008, Raipur, dated 24th October, 2013, which the State Government proposes to make in exercise of the powers conferred by clause (iii) of sub-section (2) of Section 258 read with sub-section (5) of Section 59 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), regarding the Alteration of Assessment and Imposition of Premium, for the purpose of levy of premium on agricultural land, hereby, published as required under sub-section (3) of Section 258 of the said Act for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft shall be taken into consideration after the expiry of sixty days from the date of publication of this notice in the Official Gazette;

Any objection or suggestion regarding the said draft received from any person, before the specified period during office hours by the office of the Secretary, Department of Revenue and Disaster Management, Government of Chhattisgarh, Room No. S-2-23, Mahanadi Bhawan, Mantralaya, Capitol Complex, Naya Raipur, District Raipur shall be considered by the Government of Chhattisgarh.

DRAFT AMENDMENT

In the said notification;—

1. In sub-rule (1) of rule 14, the words, figure and symbol "and for the areas specified in column (2) of Schedule-B appended to these rules and premium shall be imposed according to the rates specified in column (3) of the said Schedule, as the case may be" shall be omitted.

2. Schedule-B shall stand omitted.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. निहालानी, संयुक्त सचिव.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 10 मार्च 2015

क्रमांक एफ 8-1/2012/11/(6).—इंडियन बॉयलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा एन.एस.पी.सी.एल. भिलाई के बॉयलर क्रमांक-सी. जी./343 को दिनांक 04-04-2015 से 31-07-2015 तक निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 (सी) के उपबंधनों के प्रवर्तन से छूट प्रदान करता है :—

(1) संदर्भाधीन बॉयलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बॉयलर अधिनियम, 1923 की धारा 18 (1) की अपेक्षानुसार तत्काल बॉयलर निरीक्षक/मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

(2) उक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बॉयलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

(3) संदर्भाधीन बॉयलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि वह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.

(4) नियतकालीन सफाई और नियमित रूप से गैस निकालने (रेगुलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

(5) छत्तीसगढ़ बॉयलर निरीक्षण नियम, 1966 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बॉयलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क अग्रिम रुप में जमा कराई जावेगी.

(6) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापिस ले सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. एल. सांकला, अवर सचिव.

श्रम विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 11 मार्च 2015

क्रमांक एफ 10-2/2015/16.—असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 की धारा 3 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा असंगठित कर्मकारों के लिए निम्नानुसार योजना बनाती है :—

सफाई कर्मकार विवाह योजना :—

1. **योजना का प्रावधान :—**

1.1 योजना का नाम सफाई कर्मकार विवाह योजना होगा.

1.2 योजना के अंतर्गत रुपये 15,000/- प्रति विवाह सहायता देय होगी.

1.3 योजना के प्रावधान अधिसूचना दिनांक से प्रभावशील होंगे.

2. **योजना हेतु पात्रता :—**

2.1 यह योजना महिला सफाई कर्मकार के स्वयं के विवाह अथवा सफाई कर्मकार हिताधिकारी की धर्मज या विधिमान्य गोद ली गई या सौतेली ऐसी पुत्री जिसकी आयु विवाह के समय 18 वर्ष से कम नहीं हो, के लिए लागू होगी.

2.2 पंजीबद्ध महिला कर्मकार के विवाह/एक बार पुनर्विवाह एवं पंजीबद्ध कर्मकार की दो पुत्रियों की सीमा तक लाभ प्राप्त करने की पात्रता होगी.

3. **योजना हेतु आवेदन की प्रक्रिया :—**

3.1 आवेदिका/आवेदक को विवाह के प्रस्तावित तिथि के एक माह पूर्व आवेदन करना होगा.

3.2 आवेदन पत्र में हस्ताक्षर आवेदिका महिला कर्मकार के स्वयं अथवा सफाई कर्मकार की पुत्री के स्वयं का होना चाहिए.

3.3 महिला कर्मकार स्वयं आवेदिका होने पर स्वयं का अथवा आवेदिका हिताधिकारी की पुत्री होने पर पिता/माता के परिचय पत्र का पंजीयन क्रमांक अंकित करना होगा.

3.4 निर्धारित प्रारूप में आवेदन संबंधित क्षेत्राधिकारिता सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी के कार्यालय में जमा किया जावेगा.

4. **लाभ प्रदाय करने की प्रक्रिया**—आवेदक के आवेदन के जांच उपरांत संबंधित क्षेत्राधिकारिता के सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी द्वारा निर्धारित राशि आवेदक के खाते में जमा करेगा.

5. **विसंगति का निराकरण**— योजना में यदि कोई विसंगति उत्पन्न होती है, तो उस स्थिति में सचिव, छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल का निर्णय अंतिम माना जावेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
याकुब खेस्स, उप-सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 5 मार्च 2015

क्रमांक 565/450/2015/16.—छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के पत्र क्रमांक एफ-54-14/तीन(दो)/न.पा./अव.कार.श्रमिक/2014/341, दिनांक 28-02-2015 में उल्लेखित नगरपालिका परिषद् खरसिया के वार्ड क्रमांक 7 के पार्षद पद के प्रत्यादिष्ट निर्वाचन को संपन्न कराने के लिए दिनांक 16-03-2015 को मतदान तथा दिनांक 18-03-2015 को मतगणना हेतु तिथि नियत की गई है. अत: कारखाना अधिनियम, 1948 तथा छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम-1958 के अंतर्गत आने वाले कारखानों/स्थापनाओं में कार्यरत उन श्रमिक/कर्मचारियों को मतदान के दिन अर्थात् 16-03-2015 (सोमवार), को राज्य शासन एतद्द्वारा संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में अवकाश घोषित करता है.

2. ऐसे कारखाने जो सप्ताह के सात दिन कार्य करते हैं, वहां प्रथम एवं द्वितीय पॉली के श्रमिकों को मतदान के दिन 02-02 घंटे का अवकाश घोषित किये जाने तथा जो कारखने निरंतर प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं, उनमें काम करने वाले श्रमिकों को बारी-बारी से मतदान करने की सुविधा दी जाये.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. डी. कुंदानी, अवर सचिव.

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 28 फरवरी 2015

क्रमांक/एफ-17-02/2013/25-2.—राज्य शासन, एतद्द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 के नियम 11 (4) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाये गये छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (आकस्मिकता योजना) नियम, 1995 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियम में,—

1. नियम 8 के उप नियम (2) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"(2) **भरण-पोषण व्यय :—**
साक्षी, अत्याचार के पीड़ित व्यक्ति या उसका/उसकी आश्रित तथा परिचर को अपराध के अन्वेषण, सुनवाई और विचारण के दौरान उसके आवास तथा ठहरने के स्थान से दूर रहने के दिनों के लिये दैनिक भरण-पोषण हेतु न्यूनतम मजदूरी का भुगतान महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (क्रमांक 42, सन् 2005) (मनरेगा) के तत्समय प्रचलित दैनिक मजदूरी + पचास रुपये दिया जाये."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमृता बेक, उप-सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुन्द, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

महासमुन्द, दिनांक 9 मार्च 2015

क्रमांक 27/अ.वि.अ./भू.अ./01/अ-82 वर्ष 2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः नवीन भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुन्द	सरायपाली	गुठानीपाली	6.38	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, महासमुन्द.	घुराऊ जलाशय योजना के डूब में आई भूमि.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सरायपाली के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 9 मार्च 2015

क्रमांक 29/अ.वि.अ./भू.अ./02/अ-82 वर्ष 2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः नवीन भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुन्द	सरायपाली	चारभाठा	5.34	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, महासमुन्द.	घुराऊ जलाशय योजना के डूब में आई भूमि.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सरायपाली के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 9 मार्च 2015

क्रमांक 31/अ.वि.अ./भू.अ./03/अ-82 वर्ष 2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: नवीन भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुन्द	सरायपाली	कलेण्डा	3.63	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, महासमुन्द.	घुराऊ जलाशय योजना के डूब में आई भूमि.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सरायपाली के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 9 मार्च 2015

क्रमांक 33/अ.वि.अ./भू.अ./04/अ-82 वर्ष 2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: नवीन भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुन्द	सरायपाली	गुठानीपाली	4.23	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, महासमुन्द.	घुराऊ जलाशय योजना के दायीं तट नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सरायपाली के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश कुमार अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य कृषि विपणन (मण्डी)बोर्ड
बीज भवन, जी. ई. रोड, तेलीबांधा, रायपुर

रायपुर, दिनांक 13 फरवरी 2015

क्रमांक/बी-8/32/भा.अधि./2014-15/6372.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-8/32/भार.अधि./2013-14/4155 रायपुर, दिनांक 18-09-2013 द्वारा श्री एम. एल. साहू, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को कृषि उपज मंडी समिति खरसिया जिला-रायगढ़ का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

कलेक्टर जिला-रायगढ़ का पत्र क्रमांक/मंडी/भा.अ./2014-15/472, दिनांक 02-02-2015 द्वारा श्री के. आर. भगत, अनुविभागीय कृषि अधिकारी खरसिया को कृषि उपज मंडी समिति खरसिया के लिए भारसाधक अधिकारी नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया गया है.

अत: छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, श्री एम. एल. साहू, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) का स्थानांतरण हो जाने के कारण उनके स्थान पर श्री के. आर. भगत, अनुविभागीय कृषि अधिकारी खरसिया को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मण्डी समिति खरसिया, जिला-रायगढ़ का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 13 फरवरी 2015

क्रमांक/बी-8/32/भा.अधि./2014-15/6376.—कलेक्टर जिला रायगढ़ का पत्र क्रमांक/मंडी/भार.अधि./2014-15/6000 दिनांक 15-12-2014 द्वारा कृषि उपज मंडी समिति घरघोड़ा, जिला रायगढ़ में भारसाधक अधिकारी के पद में नियुक्त श्री पी. के. गढेवाल वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी घरघोड़ा के स्थान पर श्री जे. आर. मनहरे वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी घरघोड़ा को कृषि उपज मंडी समिति घरघोड़ा जिला-रायगढ़ के लिए भारसाधक अधिकारी नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया गया है.

अत: छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, श्री जे. आर. मनहरे वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी घरघोड़ा, जिला-रायगढ़ को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मण्डी समिति घरघोड़ा, जिला-रायगढ़ का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 13 फरवरी 2015

क्रमांक/बी-8/32/भा.अधि./2014-15/6378.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-8/भार.अधि./2013-14/1615 रायपुर, दिनांक 07-06-2013 द्वारा श्री लालमन साय पैकरा (वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी) को कृषि उपज मंडी समिति आमनदुला, जिला-जांजगीर-चांपा भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

अपर कलेक्टर जिला जांजगीर-चांपा का ज्ञापन क्रमांक 953/स्थापना/2015/दिनांक 21-01-2015 द्वारा श्री आशीष टिकरिहा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सक्ती को कृषि उपज मंडी समिति आमनदुला के लिए भारसाधक अधिकारी नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया गया है.

अत: छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, श्री लालमन साय पैकरा (वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी) का स्थानांतरण हो जाने के कारण उनके स्थान पर श्री आशीष टिकरिहा, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सक्ती को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मण्डी समिति आमनदुला जिला जांजगीर-चांपा का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 13 फरवरी 2015

क्रमांक/बी-8/32/भा.अधि./2014-15/6380.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-8/भार.अधि./2010-11/7920 रायपुर, दिनांक 26-02-2011 द्वारा श्री एस. के. प्रसाद, अनुविभागीय अधिकारी (कृषि) प्रतापपुर को कृषि उपज मंडी समिति प्रतापपुर जिला-सूरजपुर भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

कलेक्टर जिला सूरजपुर का ज्ञापन क्रमांक 482/वित्त-स्था./2015/दिनांक 27-01-2015 द्वारा श्री अनिल कुमार वर्मा, अनुविभागीय अधिकारी (कृषि) प्रतापपुर को कृषि उपज मंडी समिति प्रतापपुर के लिए भारसाधक अधिकारी नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया गया है.

अत: छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, श्री एस. के. प्रसाद, अनुविभागीय अधिकारी (कृषि) प्रतापपुर का स्थानांतरण हो जाने के कारण उनके स्थान पर श्री अनिल कुमार वर्मा अनुविभागीय अधिकारी (कृषि) प्रतापपुर को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मण्डी समिति प्रतापपुर जिला सूरजपुर का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 13 फरवरी 2015

संशोधन

क्रमांक/बी-8/32/भा.अधि./2014-15/6382.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-8/32/भा.अधि./2012-13/9142 रायपुर, दिनांक 30-03-2013 द्वारा श्री संतोष कुमार गुप्ता अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को कृषि उपज मंडी समिति नैला का समिति नैला जिला-जांजगीर-चांपा का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

अपर कलेक्टर जांजगीर-चांपा के ज्ञापन क्रमांक 5786 दिनांक 15-12-2014 द्वारा अवगत कराया है कि श्री संतोष कुमार गुप्ता अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जांजगीर को पद नाम परिवर्तित कर डिप्टी कलेक्टर किया गया है.

अत: श्री संतोष कुमार गुप्ता अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नैला के स्थान पर पदनाम परिवर्तन पश्चात् श्री संतोष कुमार गुप्ता डिप्टी कलेक्टर जिला जांजगीर-चांपा को भारसाधक अधिकारी कृषि उपज मंडी समिति नैला जिला-जांजगीर-चांपा पढ़ा जावे.

रायपुर, दिनांक 13 फरवरी 2015

क्रमांक/बी-8/32/भा.अधि./2014-15/6387.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-8/भार.अधि./2013-14/839-840 रायपुर, दिनांक 06-05-2013 द्वारा श्री सौमिल रंजन चौबे अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को कृषि उपज मंडी समिति बलौदाबाजार जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

कलेक्टर जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा का पत्र क्रमांक 12/मंडी/भा.अ.नि./2015/दिनांक 09-01-2015 द्वारा श्री एम. डी. मानकर उप संचालक कृषि बलौदाबाजार जिला बलौदाबाजार-भाटापारा को कृषि उपज मंडी समिति बलौदाबाजार के लिए भारसाधक अधिकारी नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया गया है.

अत: छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, श्री सौमिल रंजन चौबे अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बलौदाबाजार का स्थानांतरण हो जाने के कारण उनके स्थान पर श्री एम. डी. मानकर, उप संचालक कृषि बलौदाबाजार जिला बलौदाबाजार-भाटापारा को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मण्डी समिति बलौदाबाजार जिला बलौदाबाजार-भाटापारा का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 13 फरवरी 2015

संशोधन

क्रमांक/बी-8/32/भा.अधि./2014-15/6389.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-8/भार.अधि./2012-13/7266-67 रायपुर, दिनांक 03-03-2014 द्वारा श्रीमति लक्ष्मी ठाकुर डिप्टी कलेक्टर जिला कार्यालय धमतरी को कृषि उपज मंडी समिति धमतरी जिला-धमतरी का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

कलेक्टर जिला धमतरी के ज्ञापन क्रमांक 626 दिनांक 14-11-2014 द्वारा श्रीमति लक्ष्मी ठाकुर डिप्टी कलेक्टर जिला कार्यालय धमतरी को नवीन पदस्थापना हेतु भारमुक्त किये जाने के फलस्वरूप श्री प्रदीप कुमार मिश्रा अपर कलेक्टर जिला कार्यालय धमतरी को कृषि उपज मंडी समिति धमतरी के लिए भारसाधक अधिकारी नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया गया.

अत: कार्यालयीन आदेश क्रमांक 4483 रायपुर दिनांक 19-11-2014 में आंशिक संशोधन किया जाकर छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा, श्रीमति लक्ष्मी ठाकुर, डिप्टी कलेक्टर धमतरी को नवीन पदस्थापना हेतु भारमुक्त किये जाने के फलस्वरूप, उनके स्थान पर श्री प्रदीप कुमार मिश्रा, अपर कलेक्टर जिला कार्यालय धमतरी को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मण्डी समिति धमतरी जिला-धमतरी का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 13 फरवरी 2015

क्रमांक/बी-8/32/भा.अधि./2014-15/6391.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-8/भार.अधि./2010-11/7574-75 रायपुर, दिनांक 17-02-11 द्वारा श्री आर. एस. गुप्ता अनुविभागीय कृषि अधिकारी को कृषि उपज मंडी समिति पंडरिया जिला कबीरधाम का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

कलेक्टर जिला-कबीरधाम के ज्ञापन क्रमांक 313 दिनांक 13-12-2014 द्वारा श्री मोरध्वज डड़सेना अनुविभागीय अधिकारी (कृषि) कवर्धा जिला कबीरधाम को कृषि उपज मंडी समिति पंडरिया के लिए भारसाधक अधिकारी नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया गया है.

अत: छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, श्री आर. एस. गुप्ता अनुविभागीय कृषि अधिकारी का स्थानांतरण अन्यत्र हो जाने के कारण उनके स्थान पर श्री मोरध्वज डड़सेना अनुविभागीय अधिकारी (कृषि) कवर्धा को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मण्डी समिति पंडरिया जिला-कबीरधाम का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 13 फरवरी 2015

क्रमांक/बी-8/32/भा.अधि./2014-15/6393.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-8/भार.अधि./2010-11/7574-75 रायपुर, दिनांक 17-02-11 द्वारा श्री एल. के. विसेन, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी डोंगरगढ़ को कृषि उपज मंडी समिति डोंगरगढ़ जिला-राजनांदगांव का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

कलेक्टर राजनांदगांव जिला-राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 8471/ज्ये.लि. 1/2014/दिनांक 01-12-2014 द्वारा श्री सी. एल. मारकण्डे, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) डोंगरगढ़ जिला राजनांदगांव को कृषि उपज मंडी समिति डोंगरगढ़ के लिए भारसाधक अधिकारी नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया गया है.

अत: छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, श्री एल. के. विसेन, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी डोंगरगढ़ का स्थानांतरण हो जाने के कारण उनके स्थान पर श्री सी. एल. मारकण्डे, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) डोंगरगढ़ जिला-राजनांदगांव को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मण्डी समिति डोंगरगढ़ जिला-राजनांदगांव का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

सी. आर. प्रसन्ना,
प्रबंध संचालक.